जागरण

Faridabad: कारोबारी के घर से ब्रांडेड बोतल के अंदर नकली शराब बरामदगी का मामला, रिमांड के बाद अदालत ने भेजा जेल

फरीदाबाद, जागरण संवाददाता। ब्रांडेड बोतल में नकली शराब भरकर बेचने के मामले में मुख्य आरोपित शराब कारोबारी मनिंदर सिंह को पांच दिन के रिमांड के बाद क्राइम ब्रांच ने अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे जेल भेज दिया है।

क्राइम ब्रांच ने उसे गोवा से गिरफ्तार किया था। रिमांड के दौरान क्राइम ब्रांच ने शराब कारोबारी के घर से भी नकली शराब भरी हुई छह ब्रांडेड बोतल बरामद की हैं। शहर में आरोपित के 12 ठेके हैं। इनके बारे में आरोपित ने बताया कि ठेके उसके नाम पर नहीं हैं। क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया कि शराब ठेकों की शराब खरीदने के लिए आरोपित के खाते से ही भुगतान हो रहा था। क्राइम ब्रांच ने यह सारा रिकार्ड भी बरामद किया है।

नकली शराब का सूत्रधार है कंवलजीत

क्राइम ब्रांच बदरपुर बार्डर प्रभारी संदीप सिंह ने 26 अप्रैल को एनआइटी दो से चरणजीत सिंह और निखिल नाम के लोगों को गिरफ्तार किया था। वे महंगे ब्रांड की बोतल में सस्ती शराब भरने का काम कर रहे थे। जिन ठेकों पर वे शराब सप्लाई कर रहे थे वह सभी मनिंदर सिंह के निकले हैं।

पूछताछ में मनिंदर सिंह ने बताया है कि ब्रांडेड बोतल में नकली शराब के खेल का असली सूत्रधार कंवलजीत है। वह चरणजीत सिंह का बेटा और मनिंदर का ममेरा भाई है। कंवजलीत अभी फरार है। वही शराब की ब्रांडेड बोतल और सील लेकर आता था। इसके बाद ठेकों पर शराब सप्लाई करने का भी उसी का काम था।

Source: https://www.jagran.com/haryana/faridabad-ncr-case-of-recovery-of-spurious-liquor-inside-branded-bottle-from-businessman-house-in-faridabad-court-sent-to-jail-after-remand-23417276.html